

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 7(108)परि/नियम/मु./94 / 10428

जयपुर, दिनांक 10.07.2023

कार्यालय आदेश 16/2023

विषय:- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वाहनो के पंजीयन के संबंध में।

विभागीय समसंख्यक दिनांक 30.06.1989, 22.04.1991, 15.07.1994, 06.08.1996, 25.09.1997, 05.06.1999, 18.08.1999, 22.11.2005, 23.01.2012, 19.07.2013, 14.06.2018, 02.12.2020, 27.05.2021, 19.05.2022, 27.10.2022 एवं 23.05.2023 की निरन्तरता में, निम्न तालिका में उल्लेखित, राज्य में नवगठित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर द्वितीय के पंजीयन अधिकारी को मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 41 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, राजस्थान राज्य के वाहनों का पंजीयन करने हेतु आवंटित शब्द समूह RJ के पश्चात उनके पद नाम के सम्मुख अंकित पंजीयन कोड निम्नानुसार आवंटित किया जाता है:-


क्र. सं.	परिवहन कार्यालय	पंजीयन अधिकारी	पंजीयन कोड
1	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जोधपुर -द्वितीय	पंजीयन अधिकारी, जोधपुर -द्वितीय	RJ61



(कन्हैया लाल स्वामी)
आयुक्त, परिवहन एवं
सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ 7(108)परि/नियम/मु./94 / 10429-435 जयपुर, दिनांक 10.07.2023

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण/प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी।
5. नोडल अधिकारी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी एवं सिस्टम एनालिस्ट।
7. रक्षित पत्रावली।



आयुक्त, परिवहन एवं
सडक सुरक्षा विभाग